

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.



मि0न0 -6/2019

अनवान : -

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाति जाट आयु 14 वर्ष निवासी सरदारपुराबास भोला नाबालिग जरिये इष्ट मित्र व वली कुदरती सगी माता मु0 बनासपति पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी सरदारपुरा बास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

स-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र शर्मा वकील -प्रार्थी
राजपैरोकार -राज0 सरकार

निर्णय

दिनांक 31/01/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 47/54 एवं चक 9 जेएसएल के खाता सं0 238/243 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम मुकेश कुमार के स्थान पर कुलदीप पुत्र रामनिवास दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मुकेश की बजाए कुलदीप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता रामनिवास के कुलदीप नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, फोटो आधारकार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका में भी प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र रामनिवास दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सागडा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में मुकेश कुमार की बजाए कुलदीप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम कुलदीप पुत्र रामनिवास के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम मुकेश पुत्र रामनिवास दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने ग्राम रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 47/54 एवं चक 9 जेएसएल के खाता सं0 238/243 के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु

पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि " प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम मुकेश कुमार के स्थान पर कुलदीप दर्ज हो गया। " जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड प्रदर्श 3ए, परिवार राशन कार्ड पिता 4ए, अंकत तालिका माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए व प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 47/54 एवं चक 9 जेएसएल के खाता सं0 238/243 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम "कुलदीप पुत्र रामसिंह के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश बारैठ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़

